



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 66 राँची, बुधवार,

22 जनवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 जनवरी, 2025

संख्या-13/आर०-101/2024-191--महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025 की कंडिका-4 के आलोक में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) के चयन हेतु नामनिर्देशन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

- | | |
|--|-----------------|
| (i) उच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश | - अध्यक्ष, |
| (ii) झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, | - सदस्य |
| (iii) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का कोई नामनिर्देशिती | - सदस्य |
| (iv) झारखण्ड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष / नामनिर्देशिती | - सदस्य |
| (v) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड | - सदस्य
सचिव |
| (vi) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, जिसने झारखण्ड राज्य में
पुलिस बल के प्रमुख के रूप में कार्य किया हो | - सदस्य |

2. उक्त नामनिर्देशन समिति के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय, के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश श्री रत्नाकर भेंगरा तथा समिति के सदस्य के रूप में भा०पु०से० के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा को राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
